निदेशालय
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,उत्तराखण्ड
निकट नन्दा की चौकी, सुद्धोवाला,विकासनगर रोड,देहरादून
ई–मेल dir.icds.ua @ gmail.com

पत्रांक C-1972/ वाद– 7042 / W.P. No. 2482 / 2014, 2023–24 दिनांक 12 सितम्बर अगस्त, 2023,

अपील

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या– 2482 / 2014 में पारित आदेश दिनांक 12.05.2023 के अनुपालन में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है:–

1– कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 4 के अनुपालन में आन्तरिक परिवाद समिति का गठन अनिवार्य रूप से समस्त कार्यालयों, मंत्रालयों, विभागों, सरकारी संगठनों, प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों संस्थानों, निकायों में किया जाये। कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 6 के अनुपालन में प्रत्येक जिलाधिकारी द्वारा जनपद स्तरीय स्थानीय परिवाद समिति गठित की जायेगी। आन्तरिक परिवाद समिति व स्थानीय परिवाद समिति के गठन से सम्बन्धित कार्यालय आदेश की प्रति शासकीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाये ।

2– समस्त समितियां कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के प्राविधानों के अनुरूप ही गठित की जायें। यदि पूर्व से समितियॉ गठित हैं, तो उन्हें नियमानुसार अद्यतन कर लिया जाये।

3– आन्तरिक परिवाद समिति तथा स्थानीय परिवाद समिति के गठन और संरचना के बारे में आवश्यक जानकारी, ई–मेल आईडी का विवरण और नामित व्यक्ति (व्यक्तियों) के संपर्क नंबर, आनलाइन शिकायत प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया, साथ ही प्रासंगिक नियम, विनियम और आंतरिक नीतियां सम्बन्धित प्राधिकरण / कार्यकारी संगठन / संस्था / निकाय / जिलाधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड की जाये।

4– सक्षम प्राधिकारियों / प्रबंधन / नियोक्ताओं द्वारा आन्तरिक परिवाद समितियों व स्थानीय परिवाद समितियों के सदस्यों को उनके कर्त्तव्यों से परिचित कराने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाएंगे और कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त होने पर जांच किस प्रकार की जानी चाहिए, शिकायत प्राप्त होने से जांच पूरी होने और जॉच रिपोर्ट जमा करने तक की पूरी प्रक्रिया के सम्बन्ध में सदस्यों को अवगत कराया जायेगा।

5– प्राधिकारी / प्रबन्धन / नियोक्ता नियमित रूप से आन्तरिक परिवाद समिति व स्थानीय परिवाद समिति के सदस्यों का कौशल बढ़ाने के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम, कार्यशालाएं, सेमिनार और जागरूकता कार्यक्रम अपने विभाग / संस्था के बजट के अन्तर्गत आयोजित करेंगे। महिला कर्मचारियों और महिला समूहों को सम्बन्धित अधिनियम, नियमों और प्रासंगिक प्रावधानों के बारे में शिक्षित करने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की जानकारी सम्बन्धित विभाग / संस्था द्वारा अपनी विभागीय / संस्था की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

6–शीर्ष स्तर और राज्य स्तर पर पेशेवरों के समस्त वैधानिक निकायों (डाक्टरों, वकीलों, वास्तुकारों, चार्टर्ड एकाउंटेंटस, लेखाकरों, इंजीनियरों, बैंकरों और अन्य पेशेवरों सहित) विश्वविद्यालयों, कालेजों,

निदेशालय
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,उत्तराखण्ड
निकट नन्दा की चौकी, सुद्धोवाला,विकासनगर रोड,देहरादून
ई–मेल dir.icds.ua @ gmail.com

प्रशिक्षण केन्द्रों व शैक्षणिक संस्थानों और राजकीय व निजी अस्पतालों /नर्सिंग होम द्वारा भी आन्तरिक परिवाद समिति के गठन हेतु समान तरह का अभ्यास किया जायेगा।

7– राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA),उत्तराखण्ड द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 अधिनियम के प्रावधानों के सम्बन्ध में प्राधिकारियों/प्रबंधन/नियोक्ताओं, कर्मचारियों और किशोर समूहों को संवेदनशील बनाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए माडयूल विकसित किया जायेगा व प्राधिकरण के वार्षिक कैलेण्डर में शामिल किया जाएगा।

8– राज्य न्यायिक अकादमियों द्वारा अपने वार्षिक कैलेंडर में उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में स्थापित आन्तरिक परिवाद समिति के सदस्यों की क्षमता निर्माण, अधिनियम और नियमों के तहत् जांच करने और मानक संचालन प्रक्रिया का मसौदा तैयार करने के लिए, अभिविन्यास कार्यक्रमों, सेमिनारों और कार्यशालाओं को शामिल किया जायेगा।

9– उजाला अकादमी भवाली, आर0 एस0 टोलिया प्रशासन अकादमी, नैनीताल, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के द्वारा विभिन्न विभागों/कार्यालयों/संगठनों में गठित आन्तरिक परिवाद समिति व प्रत्येक जिले में गठित स्थानीय परिवाद समिति के सदस्यों हेतु प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण के व्यय का भुगतान सम्बन्धित विभागों द्वारा किया जायेगा।

(प्रशान्त आर्य)
निदेशक

पृ0सं0/ /तद्दिनांकित/उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः दैनिक अमर उजाला,दैनिक जागरण, दैनिक हिन्दुस्तान एवं राष्ट्रीय सहारा, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आश्य के साथ कि उक्त अपील को अपने दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

निदेशक